विवरणिका

भगवानदीन आर्यकन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय

लखीमपुर–खीरी उ.प्र. 262701

महाविद्यालय कोड : 3002

(सम्बद्ध – लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ)

Website : www.bakpgcollege.com

PROSPECTUS

सत्र 2024–25

स्वच्छ भारत अभियान

आज़ादी का
अमृत महोत्सव

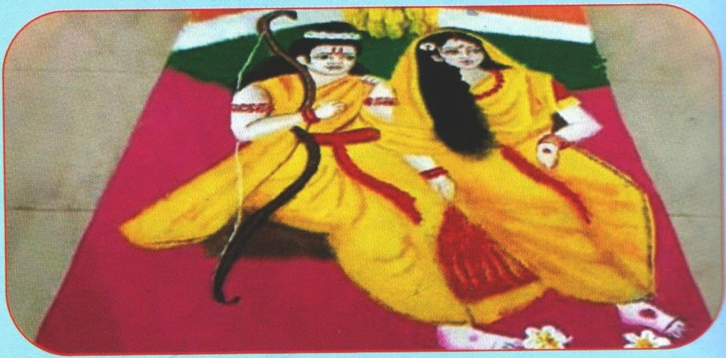

आज़ादी का
अमृत महोत्सव

राष्ट्रीय सेवा योजना
Help

अमृत वाटिका
VIKSIT BHARAT
@2047

ओ३म्

महाविद्यालय के प्रेरणा स्तम्भ

महर्षि दयानन्द सरस्वती

ओ३म्
विद्या धर्मेण शोभते
भगवानदीन लखीमपुर-खीरी महाविद्यालय

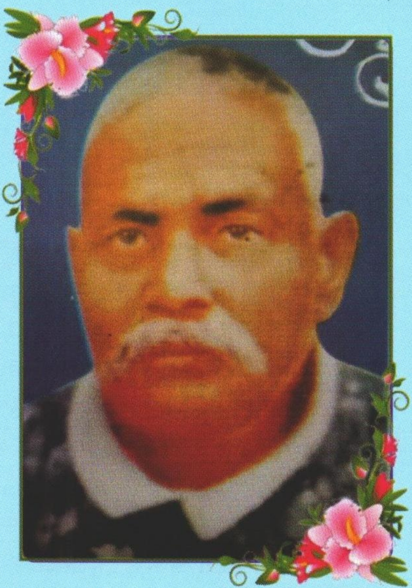

पं० भगवानदीन
संस्थापक
आर्य समाज, लखीमपुर-खीरी

आर्य समाज के नियम

- सब सत्यविद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते है, उन सबका आदि मूल परमेश्वर है।
- ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वाव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर-अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करने योग्य है।
- वेद सब सत्यविद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना सब आर्यो का परम् धर्म है।
- सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिये।
- सब काम धर्मानुसार अर्थात् सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिये।
- संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात् शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना।
- सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार तथा यथायोग्य बर्तना चाहिये।
- अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये।
- प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिये वरन् सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिये।
- सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिये और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें।

ओ३म्

प्रार्थना

1 **ओ३म् विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव।**
यद् भद्रं तन्न आसुव ।।

अर्थ- हे समस्त संसार को उत्पन्न करने वाले, समस्त सुखों को प्रदान करने वाले एवं स्वयं प्रकाशमान अथवा सबको प्रकाशित करने वाले परमेश्वर ! आप हमारे समस्त दुर्गुणों, दुर्व्यसनों एवं दुष्कर्मों को दूर कीजिये तथा जो कल्याणकारी है, वह हमें प्रदान कीजिये ।

2 **हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्।**
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ।।

अर्थ- हिरणयगर्भ अर्थात् प्रकाशमान सूर्य, चन्द्रमा आदि को अपने गर्भ में धारण करने वाला परमपिता परमेश्वर इस सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व ही विद्यमान था, जो उत्पन्न हुए इस समस्त संसार का स्वामी था, वही पृथ्वीलोक तथा द्युलोक को धारण किये हुए है, ऐसे उस अनिर्ज्ञात स्वरूप, सुखस्वरूप अथवा कसंज्ञक परमेश्वर ही हम हवि के द्वारा उपासना करें।

3 **य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः।**
यस्यच्छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ।।

अर्थ- जो परमात्मा आत्मज्ञान तथा शक्ति को प्रदान करने वाला है, जिसके अनुशासन को सभी मानते है, जिसके शासन को सभी विद्वान् मानते हैं, जिसका आश्रय मोक्ष प्रदान करने वाला है, जिसका आश्रय न लेना मृत्यु आदि दुःख का कारण है, ऐसे उस अनिर्ज्ञात स्वरूप, सुखस्वरूप अथवा कसंज्ञक परमेश्वर ही हम हवि के द्वारा उपासना करें।

4 **यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव।**
य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम।।

अर्थ- जो इस सजीव जगत का अपनी महिमा से एकमात्र स्वामी है, दो पैरों वाले अर्थात् मनुष्य, पक्षी आदि की तथा चार पैरों वाले अर्थात् गौ, अश्व आदि पशुओं की रचना करने वाला है, ऐसे उस अनिर्ज्ञात स्वरूप, सुखस्वरूप अथवा कसंज्ञक परमेश्वर की हम हवि के द्वारा उपासना करें।

5 **येन द्यौरूग्रा पृथिवी च दृढा येन स्व स्तभितं ये नाकः।**
यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम।।

अर्थ- जिस परमात्मा ने विस्तृत द्युलोक और पृथ्वी को धारण किया है, जिसने सुख तथा दुःख रहित मोक्ष को धारण किया है, जो अन्तरिक्ष में लोक-लोकान्तरों का निर्माता है, ऐसे उस अनिर्ज्ञात स्वरूप, सुखस्वरूप अथवा कसंज्ञक परमेश्वर ही हम हवि के द्वारा उपासना करते है।

6 **प्रजापते न त्वदेतान्यान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव।**
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्।।

अर्थ- हे प्रजापति परेश्वर! तुमसे भिन्न कोई अन्य उत्पन्न हुए सभी सजीव एवं निर्जीव पदार्थों को व्याप्त नहीं किये है, जिन पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा से हम तुम्हारी स्तुति करें, वे हमें प्राप्त हों, हम सर्वविध धन के स्वामी हों।

7 **स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा।**
यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त।।

अर्थ- वह परमपिता परमेश्वर हमारा बन्धु है, हम सबको उत्पन्न करने वाला एवं हम सबका पालन करने वाला है। वह समस्त स्थानों एवं लोक आदि का ज्ञाता है। सांसारिक सुख-दुःख से रहित नित्य आनन्द परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त करके विद्वान लोग स्वेच्छापूर्वक विचरण करते हैं।

8 **अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान।**
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम।।

अर्थ- हे प्रकाशमान एवं सबको प्रकाशित करने वाले परमात्मा! आप हमें धन-ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये उत्तम मार्ग से शुभ कर्मो की ओर ले चलिए। हे देव! आप हमसे कुटिलतापूर्ण पापयुक्त कर्म को दूर कीजिये। हम सभी आपकी नम्रतापूर्वक बहुविध स्तुति करें।

"उठो, जागो और तब तक नहीं रुको, जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए"

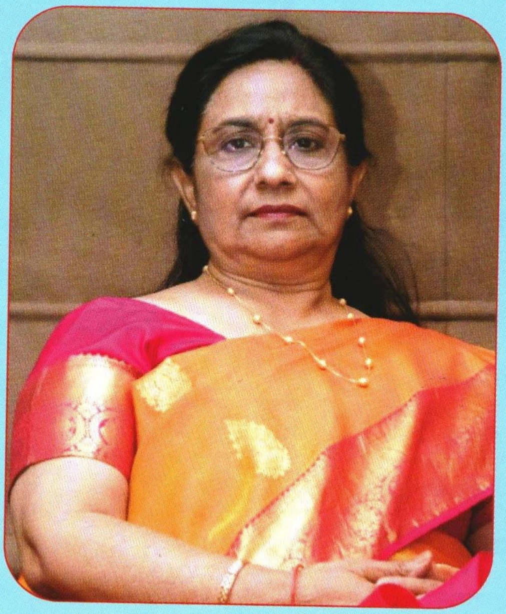

संदेश

शिक्षा एक अनुशासन है जो मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का उद्देश्य पूर्ण, समायोजनमूलक एवं सर्वांगीण विकास करते हुए उसे समृद्ध, सुसंस्कृत, आत्मनिर्भर, चरित्रवान व मानवता के प्रति निष्ठावान सामाजिक प्राणी बनाती है। वास्तव में शिक्षा विद्यार्थी, समाज व शिक्षक के मध्य त्रिध्रुवीय, सचेतन, सप्रयोजन एवं सतत गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा के सार्वभौमिक उद्देश्य परिवर्तनशील होते हैं किंतु वैयक्तिक व सामाजिक उद्देश्य अनुकूलन योग्य लचीले व परिवर्तनशील होते हैं। व्यक्ति और समाज को उन्नति के शिखर पर स्थापित करने हेतु शिक्षा के सार्वभौमिक सामाजिक व वैयक्तिक उद्देश्यों में संतुलन व सामंजस्य परम आवश्यक है। स्वस्थ आधुनिक बोध के साथ यदि भारतीय शिक्षा पद्धति की परीक्षा करें तो उसमें देशकाल, समाज, भाषा, धर्म, अर्थ काम मोक्ष–जीवन के सभी पक्षों से संबंध रखने वाले अनंत परिवर्तनों की श्रृंखला में भी एक ऐसी तारतम्यता दिखाई देती है। जिसके अभाव में किसी भी परिवर्तन की स्थिति संभव नहीं रहती। भारतीय चिंतन अनुभूति, सौंदर्य बोध, आस्था व अपनी समग्र रागात्मक चेतना के साथ प्रखर बौद्धिक क्षमता एवं शोधपूर्ण तात्विक बोधदृष्टि के साथ तत्वतः किसी न किसी पथ से मनुष्य को वृहद जीवन कोष के समीप पहुंचा देती है। सांस्कृतिक चिंतन प्रवाह में यदि इस महत्व का मूल्यांकन करें तो प्रकृति के प्रति सहज रागात्मक जीवन दृष्टि से युक्त, ज्ञान की महिमा से मंडित और जीवन के यथार्थ की भूमि पर स्थित यह जीवन दृष्टि चिर तारतम्य की साधना के साथ स्फूर्त, तनावमुक्त ऊर्जा व सकारात्मक दृष्टि से जीवन को बनाती है। वर्तमान नई शिक्षा नीति– 2020 द्वारा यही प्रयत्न किया गया है कि विद्यार्थी आत्मगौरवपूर्वक अपनी मातृभाषा के माध्यम से अपनी अभिरूचि के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सके तथा अपनी सांस्कृतिक गरिमा को आत्मसात करते हुए एवं राष्ट्र निर्माण में अपना सफल योगदान प्रदान कर सकें। आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुके हम शिक्षक व विद्यार्थियों को अब समवेत रूप से अथक परिश्रम, स्वतः स्फूर्त ऊर्जायुक्त, अनवरत प्रयत्नों नवाचारों व दृढ संकल्प से एक ऐसे समृद्ध भारतीय समाज व उन्नत राष्ट्र का निर्माण करना है जिसके लिए पुनः कहा जा सके

एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः ।
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्पृथिव्याम् सर्व मानवाः ।।

प्रो0 वीणा गोपाल मिश्रा
''प्राचार्या''

स्नातक विषय (NEP)/सेमेस्टर प्रणाली

ग्रुप	विषय	सीट्स (कुल)	मेजर	माइनर
A	हिन्दी साहित्य	340	227	113
B	अंग्रेजी	200	133	67
C	संस्कृत साहित्य	50	33	17
E	दर्शन शास्त्र	150	100	50
F	मनोविज्ञान	150	100	50
G	अर्थ शास्त्र	180	120	60
I	राजनीति विज्ञान	270	180	90
K(1)	चित्रकला	184	123	61
K(2)	संगीत वादन	30	20	10
K(3)	संगीत गायन	30	20	10

प्रवेश की अर्हता (पात्रता)

स्नातक

A	सामान्य वर्ग	40%	न्यूनतम
B	अन्य पिछड़ा वर्ग	40%	न्यूनतम
C	अनुसूचित जाति/ जनजाति	33%	न्यूनतम

परास्नातक हिन्दी/संस्कृत

A	सामान्य वर्ग	45%	न्यूनतम
B	अन्य पिछड़ा वर्ग	45%	न्यूनतम
C	अनुसूचित जाति/ जनजाति	40%	न्यूनतम

नोट :–
- महाविद्यालय में स्नातक वर्ग की कुल सीट संख्या 528 (480+48=528) है।
- परास्नातक वर्ग की कुल सीट संख्या–(60+6)=66 है।
- अभ्यर्थी द्वारा एम. ए. के जिस विषय में प्रवेश लेना है उस विषय का स्नातक का अध्ययन न किये जाने परन्तु स्नातक के प्रथम के दो वर्षो में अध्ययन किये जाने की स्थिति में स्नातक परीक्षा न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण की गयी हो।
- अभ्यर्थी द्वारा जिस विषय में प्रवेश लेना हो उस विषय का स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययन न किये जाने की स्थिति में स्नातक परीक्षा न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण की गयी हो।

प्रवेश प्रक्रिया

आवेदन पत्र पूरित करने सम्बन्धी निर्देश–

* आवेदन पत्र के प्रत्येक कॉलम को स्वच्छ एवं स्पष्ट लेख से पूर्ण करें।
* नाम हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार लिखें ।
* अंग्रेजी में नाम केवल बड़े अक्षरों (कैपिटल लेटर) में अंकित करें ।

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न करें (सभी प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित किए जायेंगे)

* हाईस्कूल का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र (स्वप्रमाणित छायाप्रति)
* अन्तिम संस्था का चरित्र प्रमाण–पत्र (मूलप्रति)
* मूलप्रति संलग्न करने से पूर्व उसकी छायाप्रति अपने पास सुरक्षित रखें।

(sc) अनुसूचित जाति– जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार द्वारा प्रमाणित

(obc) अन्य पिछड़ा वर्ग– जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार द्वारा प्रमाणित

* इण्टरमीडिएट का अंक पत्र (स्वप्रमाणित छायाप्रति)
* स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (मूलप्रति)
* जातिप्रमाण पत्र– (स्वप्रमाणित छायाप्रति)

(st) अनुसूचित जनजाति– जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार द्वारा प्रमाणित

* आय प्रमाण पत्र (छः माह के अन्दर का)

सामान्य वर्ग के जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आरक्षण का लाभ लेना चाहते है, उन्हें आवेदन पत्र भरने के समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें।
1. सक्षम अधिकारी द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का प्रमाण पत्र
2. स्वघोषणा पत्र

* राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद की सहभागिता का प्रमाण पत्र, विकलांग होने का प्रमाण पत्र आदि आवश्यकतानुसार संलग्न करें।
* एन.सी.सी., B सर्टिफिकेट
* आधार कार्ड (स्वप्रमाणित छायाप्रति)
* वैध ई–मेल आई.डी. (E-mail Id)
* (A) एक्टिव मोबाइल नंबर (B) वैकल्पिक फोन नंबर (अभिभावक का)

संस्कृत साहित्य परास्नातक विषय (सेमेस्टर प्रणाली)

सेमेस्टर I	1. वेदो वेदवाङ्मयञ्च (SANCC-101) 2. काव्यं काव्यशास्त्रञ्च (SANCC-102) 3. तर्कभाषा (SANCC-103) 4. भाषाविज्ञानं व्याकरणञ्च (SANCC-104) 5. पालिसाहित्यम् (SANCC-105) 6. संस्कृतं विज्ञानञ्च (SANCC-101)
सेमेस्टर II	1. वेदो वैदिकी संस्कृतिश्च (SANCC-201) 2. काव्यं काव्यप्रकाशश्च (SANCC-202) 3. सांख्यतत्वकौमुदी (SANCC-203) 4. व्याकरणं महाभाष्यञ्च (SANCC-204) 5. प्राकृतसाहित्यम् (SANCC-205) 6. संस्कृतं संगणकञ्च (SANCC-206) 7. धर्मशास्त्रीयाध्ययनम् (SANVNC-201)
सेमेस्टर III Group-B <u>साहित्य वर्ग:</u>	1. काव्यालङ्कारशास्त्रम् (SANBCC-301) 2. नाट्यशास्त्र नाटकञ्च (SANBCC-302) 3. रससिद्धान्तो भारतीयसौन्दर्यशास्त्रञ्च (SANBEL-301A) 4. अपठितांशोअनुवादश्च (SANBEL-301B) 5. पाश्चात्यसौन्दर्यशास्त्रम् (SANBEL-302A) 6. ऐतिहासिकमहाकाव्यम् अभिलेखाश्च (SANBEL-302B) 7. पुस्तकालयसर्वेक्षमणम् (SANBIN-301) 8. अन्तर्विभागीय प्रश्न पत्र
सेमेस्टर IV Group-B <u>साहित्य वर्ग:</u>	1. काव्यशास्त्रमीमांसा (SANBCC-401) 2. रसगंगाधर: (SANBEL-401A) 3. आधुनिकसंस्कृतसाहित्येतिहास: (SANBEL-401B) 4. आधुनिकसंस्कृतकात्यं काव्यशास्त्रञ्च (SANBEL-402A) 5. मातृकासंपादनकौशलम् (SANBEL-402B) 6. लघुशोधप्रबन्ध: (SANBEL-401) 7. नाट्यशास्त्रमीमांसा (SANBIN-301)

हिन्दी साहित्य
परास्नातक विषय (सेमेस्टर प्रणाली)

सेमेस्टर I	1. प्राचीन तथा भक्तिकालीन हिन्दी काव्य (Code-HINCC-101) 2. रीतिकालीन हिन्दी काव्य (Code-HINCC-102) 3. हिन्दी साहित्य का इतिहास (आरम्भ से रीतिकाल तक) (Code-HINCC-103) 4. हिन्दी साहित्य का इतिहास (भारतेन्दु युग से आज तक) (Code-HINCC-104) 5. मीराबाई (Code-HINCC-105) 6. मध्यकालीन हिन्दी का नीति काव्य (Code-HINCC-101)
सेमेस्टर II	1. भारतीय काव्यशास्त्र (HINCC-201) 2. पाश्चात्य काव्यशास्त्र (HINCC-202) 3. नाटक एवं अन्य गद्य विधाएं (HINCC-203) 4. हिन्दी कथा साहित्य (HINCC-204) 5. लखनऊ के हिन्दी लेखक और कथाकार (HINCC-205) 6. लखनऊ के कवि एवं नाटककार (HINCC-206) 7. हिन्दी का सर्जनात्मक साहित्य (HINVNC-201)
सेमेस्टर III	1. आधुनिक काव्य (छायावाद तक) - HINCC-301 2. छायावादोत्तर काव्य HINCC-302 3. विशिष्ट कवि एवं रचनाकार (A) कबीरदास (B) मलिक मुहम्मद जायसी (C) सूरदास (D) तुलसीदास (E) मैथिलीशरण (F) जयशंकर प्रसाद (G) सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (H) प्रेमचन्द (I) रामचंद्र शुक्ल 4. विशिष्ट अध्ययन (A) दलित विमर्श एवं दलित साहित्य (B) लोक साहित्य (C) तुलनात्मक भारतीय साहित्य (हिन्दी–बांग्ला) (D) तुलनात्मक भारतीय साहित्य (हिन्दी–तमिल) (E) रंगमञ्च विज्ञान 4. हिन्दी भाषा का व्यावहारिक स्वरूप (HININ-301) 5. अन्तर्विभागीय प्रश्न पत्र
सेमेस्टर IV	1. हिन्दी आलोचना साहित्य (HINCC-401) 2. हिन्दी भाषा एवं भाषा विज्ञान (HINCC-402) 3. A. स्त्री विमर्श और हिन्दी साहित्य B. हिन्दी पत्रकारिता एवं संपादन कला (HINIEL-401 A,B) 4. लघुशोध प्रबन्ध (न्यूनतम 100 पृष्ठ) और उस पर आधारित मौखिक परीक्षा (HINMT-401) 5. आधुनिक भारतीय साहित्य (हिन्दी में अनूदित (HINIRA-401) रचनाओं पर आधारित)

4.12 Structure for UG (NEP) Programmes.

If P-1, P-2, P-3,...............P-20 are courses taught in major subjects and Q-1, Q-2, Q-3 and Q-4 are courses taught in Minor subject, then the proposed structure of UG programmes in NEP at the University of Lucknow, would be as follows:

Year	Sem	Major A (Subject 1)		Major B (Subject 2)		Minor (Subject 3)	CC/VC			Total Credits	Degree
		Courses	Credits	Courses	Credits	Courses	Credits	Courses	Credits		
1	Sem 1	P-1	4	P-1	4	Q-1	2	CC-1	2	20	CERTIFICATE
		P-2	4	P-2	4						
	Sem 2	P-3	4	P-3	4	Q-2	2	VC-1	2	20	
		P-4	4	P-4	4						
2	Sem 3	P-5	4	P-5	4	Q-3	2	CC-2	2	20	DIPLOMA
		P-6	4	P-6	4						
	Sem 4	P-7	4	P-7	4	Q-4	2	VC-2	2	20	
		P-8	4	P-8	4						
3	Sem 5	P-9	4	P-9	4		Internship/ Term Paper/ Minor Project in Major A (to be decided by student in Semester 5)		4	20	GRADUATION DEGREE
		P-10	4	P-10	4						
	Sem 6	P-11	4	P-11	4					20	
		P-12	4	P-12	4						
		P-13A/B/C*	4								
4	Sem 7	P-14	4							20	GRADUATION HONOURSWITH RESEARCH
		P-15	4								
		P-16	4								
		P-17	4								
		P-18A/B/C	4								
	Sem 8	P-19 (Research Methodology)	4					Major Research Project or Dissertation	12	20	
		P-20 (Term paper)	4								
Rashtra Gaurav (Compulsory Non credited)**											
Total Credits										**160**	

Note:

*Students will study courses P-13 to P-20 in the subject that they chose to continue in year 4.

**All students will have to pass the Rashtra Gaurav for obtaining certificate, diploma, undergraduate degree or undergraduate honours degree with research, only once.

CC: Co-curricular Course; VC: Vocational Course

शुल्क सम्बन्धी विवरण

* उच्चशिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन, लखनऊ एवं लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा पूर्व निर्धारित शुल्क।
* देय शुल्क के भुगतान के बिना किसी छात्रा को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
* छात्राओं द्वारा पूरे सत्र शुल्क जमा की रसीद सुरक्षित रखनी होगी। आवश्यकता पड़ने पर कभी भी दिखानी पड़ सकती है।
* छात्रा द्वारा स्वेच्छा से महाविद्यालय छोड़ने पर शुल्क न तो लौटाया जायेगा न ही समायोजित किया जायेगा।
* सत्र के मध्य में महाविद्यालय छोड़ने पर छात्रा को प्राचार्या की लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी।

नोटः-
* सभी छात्राओं को प्रवेश के समय अपने मूल प्रपत्र लाना अनिवार्य है।
* प्रवेश से पूर्व 6 फोटो तैयार रखे तथा फोटो के पृष्ठभाग पर अपना नाम अवश्य लिखें।
* संलग्न प्रमाण–पत्रों की छायाप्रतियों को अभ्यर्थी स्वयं प्रमाणित करें।

भारण एवं आरक्षण नीति

भारण/Weightage

* उत्कृष्ट खिलाड़ी– अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 प्रतिशत
* एन.सी.सी. का B सर्टिफिकेट– अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों का 2.5 प्रतिशत
* विकलांगों के लिये (दृष्टिबाधितों हेतु 1 % को सम्मलित करते हुए) 5 %
* स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्री/पौत्र/ अविवाहिता पौत्री के लिए 2 %
* सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिकों (स्वयं) अथवा शारीरिक रूप से विकलांग सैनिकों अथवा युद्ध में शहीद हुये सैनिकों अथवा वर्तमान में उत्तर–प्रदेश में सेवारत सैनिकों के पुत्र/पुत्री के लिए 5 %
* बी.ए. प्रथम वर्ष की मेरिट बनाते समय–

  कला के अतिरिक्त अन्य संकायो से उत्तीर्ण प्रवेशार्थियों के अंक निम्नानुसार घटाए जायेंगे–

  विज्ञान संकाय – 5 %

  कृषि संकाय – 10 %

  व्यवसायिक पाठ्यक्रम – 15 %

आरक्षण/Reservation

सभी आरक्षण राज्य सरकार की नीतियों और विश्वविद्यालय के दिशानिर्देशों के अनुसार दिये जायेंगे।

	अधिकतम आरक्षण
अनुसूचित जाति	21%
अनुसूचित जनजाति	2 %
अन्य पिछड़ा वर्ग	27%
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10%

छात्रवृत्तियाँ

शासन द्वारा अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अल्पसंख्यकों तथा पिछड़ी जातियों तथा निर्धन वर्ग की सामान्य छात्राओं को शासकीय छात्रवृत्तियाँ सुलभ करायी जाती है। शासनदेश के अनुसार आवेदन कर उसकी हार्डकॉपी के साथ प्रवेश रसीद, जाति एवं आय प्रमाण–पत्र तथा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर खाता संख्या एवं पासबुक की छायाप्रति कार्यालय में उपलब्ध करावें। शासन द्वारा छात्रवृत्ति सीधे छात्राओं के खाते में भेजी जायेगी। जिन छात्राओं द्वारा निर्धारित समयावधि में छात्रवृत्ति आवेदन को भरकर जमा नहीं किया जायेगा, वे इससे वंचित रह जायेंगे जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित छात्र/छात्रा की होगी।

परीक्षा फार्म जमा करना

विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार प्रवेश के पश्चात् परीक्षा आवेदन–पत्र भरकर निर्धारित समय पर प्रस्तुत करना छात्राओं की जिम्मेदारी है, जिसके अभाव में विश्वविद्यालय को आवेदन–पत्र अग्रसारित करना सम्भव नहीं होगा और विलम्ब शुल्क आदि देने का दायित्व परीक्षार्थी का होगा।

उपाधि की अर्हता–

* पाठ्यक्रम परिवर्तन विश्वविद्यालय के अधीन है ।
* नियमावली से सम्बन्धित सर्वाधिकार महाविद्यालय के पास सुरक्षित होंगे। उनमें बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन सम्भव है ।
* महाविद्यालय की सुचारू व्यवस्था में अपना सहयोग प्रदान करें। महाविद्यालय के लिए छात्रहित सर्वोपरि है।

उपस्थिति सम्बन्धी निर्देश–

* उपस्थिति के सम्बंध में विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा बनाये गये निर्देशों को दृढ़ता पूर्वक पालन अनिवार्य होगा।
* सत्रान्त 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है मानक से कम उपस्थिति होने पर परीक्षा में सम्मिलित होने से रोका जा सकता है।
* प्रार्थना सभा में अनिवार्य रूप से उपस्थिति हों क्योंकि महाविद्यालय की गतिविधियों की सूचनायें प्रार्थना स्थल पर प्रसारित होती है।
* अत्यावश्यक सूचनायें लिखित रूप से नोटिस बोर्ड पर भी लगाई जाती हैं।
* समय–समय पर आयोजित विविध कार्यक्रमों में छात्राओं की उपस्थिति अनिवार्य है।
* राष्ट्रीय पर्वों पर सोत्साह उपस्थित होकर भारतीय होने का गौरव अनुभव करना प्रत्येक छात्रा का पुनीत कर्तव्य है।

"हमें ऐसी शिक्षा चाहिए, जिससे चरित्र बने, मानसिक विकास हो, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके"

विषय चयन करने के सम्बन्ध में सामान्य निर्देश

* उपलब्ध विषयों में से स्नातक प्रथम वर्ष हेतु छात्राओं को तीन विषय का चयन करना होगा जिसमें दो मेजर, एक माइनर विषय होगा साथ ही सभी छात्राओं को एक पाठ्य– सहगामी विषय का चयन करना अनिवार्य होगा।
* जिन दो ग्रुप से दो मेजर विषय चुने गए है, उनमें से माइनर विषय नहीं चुना जाएगा।
* विषयों का चयन विचारपूर्वक नियमानुसार करें।
* विषय चयन की कठिनाई अनुभव होने पर छात्रायें प्रवेश समिति का परामर्श ले सकती हैं ।
* 55 प्रतिशत से कम प्राप्तांक होने पर इन्टरमीडिएट में लिए गए विषयों में से तीन विषय चुनें ।
* 60 प्रतिशत से कम प्राप्तांक होने पर संकाय परिवर्तन सम्भव नहीं है।
* सामान्य स्थिति में विषय परिवर्तन सम्भव नहीं है।
* उपलब्ध विषयों में से ही स्नातक प्रथम वर्ष हेतु छात्राओं को तीन विषयों का चयन करना है।
* स्नातक प्रथम वर्ष में संस्कृत साहित्य लेने के लिए इण्टरमीडिएट में संस्कृत विषय लिए जाने की अनिवार्यता नहीं है।

प्रवेश सम्बन्धी समिति

स्नातक प्रवेश समिति

BA- I/II सेमेस्टर

* डॉ. प्रीती सिंह (प्रभारी)
* श्रीमती पूजा शुक्ला (सह प्रभारी)
* श्रीमती सविता शुक्ला (सदस्य)
* श्रीमती विमलेश (सदस्य)

(विषय काउन्सिलिंग)

* डॉ. रेखा पाडेण्य
* डॉ. क्षमा तिवारी

BA- III/IV सेमेस्टर

* डॉ. सुरचना त्रिवेदी (प्रभारी)
* श्रीमती पूजा शुक्ला (सह प्रभारी)

BA V/VI सेमेस्टर

* श्रीमती अर्चना सिंह (प्रभारी)
* श्रीमती विमलेश (सह प्रभारी)

परास्नातक प्रवेश समिति

हिन्दी

* डॉ. सुशीला देवी
  (एम.ए. I/II सेमेस्टर)

संस्कृत

* डॉ. गीता शुक्ला
  (एम.ए. III/IV सेमेस्टर)
* डॉ. सुरचना त्रिवेदी
  (एम.ए. I/II सेमेस्टर)

परामर्श समिति–

* डॉ0 गीता शुक्ला
* डॉ0 रेखा पाण्डेय

महाविद्यालय परिवार

प्रो. वीणा गोपाल मिश्रा (प्राचार्य)

शिक्षक वर्ग

हिन्दी विभाग–
* डॉ. शशिप्रभा बाजपेई (विभागाध्यक्ष)
* डॉ. सुशीला देवी (एसो.प्रो.)

संस्कृत विभाग–
* डॉ. गीता शुक्ला (विभागाध्यक्ष)
* डॉ. सुरचना त्रिवेदी (एसो.प्रो.)

दर्शनशास्त्र विभाग–
* डॉ. रेखा पाण्डेय (विभागाध्यक्ष)
* डॉ. क्षमा तिवारी (असिस्टेंट.प्रोफेसर.)

अर्थशास्त्र विभाग–
* श्रीमती अर्चना सिंह (विभागाध्यक्ष)
* सुश्री वीना चौरसिया (असिस्टेंट.प्रोफेसर.)

संगीत विभाग–
* श्रीमती शिवांगी सक्सेना (विभागाध्यक्ष) संगीत वादन

अंग्रेजी विभाग–
* डॉ. प्रीति सिंह (विभागाध्यक्ष)
* डॉ. प्रियंका सिंह (असिस्टेंट.प्रोफेसर.)
* डॉ. राखी चौहान (असिस्टेंट.प्रोफेसर.)

राजनीति विज्ञान विभाग–
* श्रीमती सविता शुक्ला (विभागाध्यक्ष)
* श्रीमती विमलेश (असिस्टेंट.प्रोफेसर.)
* श्रीमती पूजा शुक्ला (असिस्टेंट.प्रोफेसर.)

मनोविज्ञान विभाग– रिक्त पद

चित्रकला विभाग– रिक्त पद

संगीत गायन– रिक्त पद

शारीरिक शिक्षा– रिक्त पद

"विचार ही इंसान को महान बनाते है और विचार ही नीचे गिराते है"

महाविद्यालय की विशेष सुविधाएं/विवरण

* छात्राओं के ज्ञानवर्धन हेतु पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था।
* नवीनतम शासनादेश के अनुसार छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान कराने की सुविधा।
* प्रतिवर्ष महाविद्यालय में वार्षिक प्रतियोगिताऐं (युवा महोत्सव 'मल्हार'), क्रीड़ा आदि का आयोजन।
* आर्थिक सहायता समिति द्वारा निर्धन एवं मेधावी छात्राओं को सहायता।
* आवश्यकता पड़ने पर कुशल डाक्टरों द्वारा चिकित्सा सम्बन्धी सहायता।
* महाविद्यालय में N.C.C,N.S.S व रेंजर्स प्रशिक्षण की व्यवस्था ।
* योग प्रशिक्षण, कम्प्यूटर जागरूकता कार्यक्रम, ताइक्वांडो प्रशिक्षण, जूडो कराटे प्रशिक्षण, संस्कृत सम्भाषण प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था ।
* पर्यावरण संरक्षण हेतु महाविद्यालय में चलाये जा रहे जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, ध्वनि, वायु प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण इत्यादि अभियान ।
* ऐतिहासिक अथवा सांस्कृतिक धरोहर संजोने वाले स्थान पर शैक्षिक भ्रमण हेतु ले जाने की व्यवस्था।
* छात्राओं की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिये महाविद्यालय द्वारा पत्रिका 'दीप्ति' का प्रकाशन।
* प्रत्येक सत्रान्त पर वार्षिक पुरस्कार वितरण प्रतिभा सम्मान समारोह के रूप में आयोजित।
* सर्वाधिक अंक प्राप्त व विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु छात्राओं को पदक प्रदान करने की व्यवस्था।
* शिक्षा की गुणवत्ता हेतु 'आन्तरिक गुणवत्ता एवं प्रत्यायन सेल (IQAC)' का गठन।
* शिक्षा को सार्थक बनाने एवं छात्राओं को व्यवसायोन्मुख बनाने की दिशा में 'कैरियर काउन्सिलिंग सेल' की स्थापना।
* छात्राओं की सृजनात्मक प्रतिभा को उजागर करने हेतु 'साहित्य परिषद एवं छात्रा समिति' का गठन।
* महाविद्यालय में भयावह एवं विकट त्रासदी एड्स /कोविड–19 के नियन्त्रण एवं निवारण हेतु 'रेड रिबन क्लब' की स्थापना।
* महिला अधिकारों एवं सम्बन्धित कानूनों की जानकारी हेतु 'लीगल लिटरेसी क्लब' की स्थापना।

"जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक उसे जहर की तरह त्याग दो"

महाविद्यालय की आचार संहिता एवं अनुशासनात्मक नियमावली

* महाविद्यालय में प्रवेश हो जाने पर प्रत्येक छात्रा को महाविद्यालय के नियमानुसार आचरण करना होगा।
* महाविद्यालय आपका परिवार है। अतः इस संस्था की सम्पत्ति, (भवन, फर्नीचर, जल, विद्युत आदि) की सुरक्षा सम्मान, स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक छात्रा का परम कर्तव्य है।
* महाविद्यालय में शिक्षकों तथा शिक्षणेतर कर्मियों से शिष्ट आचरण प्रत्येक छात्रा से अपेक्षित है।
* महाविद्यालय के परिसर के अन्दर अथवा बाहर कोई भी अनुचित आचरण पाये जाने पर महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।
* महाविद्यालय में किसी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि वर्जित है।
* प्रत्येक छात्रा को प्राप्त सूचना के आधार पर परिचय–पत्र बनवाना होगा तथा सदैव अपने साथ रखना होगा।
* महाविद्यालय में प्रवेश होने के पश्चात् अनुशासन समिति व अनुशासन छात्रा प्रतिनिधि के निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। पालन न करने पर नियमानुसार दण्ड का प्रावधान है।
* छात्राओं से अपेक्षा है कि महाविद्यालय प्रांगण, प्राचार्य कक्ष व स्टाफ रूम के सामन बरामदे में तथा इधर उधर घूमती हुई न दिखाई दें अन्यथा दण्डित भी किया जा सकता है।
* महाविद्यालय में मोबाइल न लायें। आवश्यक होने पर प्राचार्या से लिखित अनुमति प्राप्त कर लें ।
* अखाद्य (जैसे गुटखा, सुपारी आदि) का सेवन न करें। यदि किसी छात्रा के पास उक्त सामग्री किसी भी रूप में प्राप्त होती है तो रू. 200/– का आर्थिक दण्ड दिया जायेगा जिसकी रसीद दी जायेगी। पुनः उसी गतिविधि में लिप्त पाये जाने पर छात्रा को महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा।
* छात्रा द्वारा महाविद्यालय परिसर में अनुशासन भंग करने पर अभिभावक को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।
* अनुशासनहीनता सिद्ध होने पर अनुशासन समिति के प्रभारी (प्राक्टर) द्वारा नियमानुसार दंडित भी किया जा सकता है।
* महाविद्यालय रैगिंग निषिद्ध क्षेत्र है। अतः परिसर मे किसी भी प्रकार से रैगिंग किया जाना दण्डनीय अपराध होगा।
* परीक्षा में नकल करना दण्डनीय अपराध है।
* परीक्षा में किसी भी प्रकार से किसी अनुचित साधन का प्रयोग करते पाये जाने पर महाविद्यालय एवं लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

स्नातक स्तर की प्रत्येक छात्रा से यह अपेक्षा की जाती है कि सफेद कुर्ता, सफेद सलवार एवं सफेद दुपट्टे में एवं परास्नातक की छात्रायें गुलाबी कुर्ता व सफेद सलवार एवं सफेद दुपट्टे तथा विवाहित छात्रायें भी आसमानी साड़ी ब्लाउज धारण कर महाविद्यालय में उपस्थित हों।

लगभग एक किलोमीटर से कम दूरी पर रहने वाली छात्राएँ कृपया साइकिल न लायें तथा साइकिल से आने वाली छात्राएँ एक निर्दिष्ट स्थान पर ताला लगाकर साइकिल खड़ी करें।

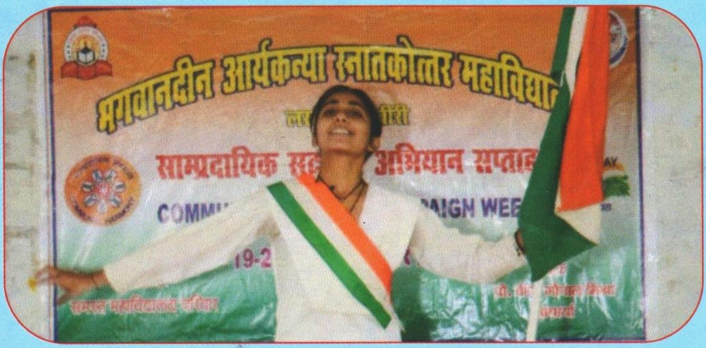

राष्ट्रीय युवा दिवस

भगवानदीन आर्यकन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय
लखीमपुर-खीरी
(संबद्ध- लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ)
सत्र-2023-24
वार्षिक क्रीड़ा समारोह